ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00015

**न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।**
पीठासीन अधिकारी : डा. गुजन सोनी, आर0ए0एस0
**अपील प्रकरण सं0 15/2017**

1. गुलाबी बाई पुत्री श्रीजीवनराम जाति बांवरी, आयु करीब 75 वर्ष निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बजरिए मुखत्यारखास काशीराम पुत्र श्री किशनाराम जाति बांवरी निवासी 17 जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
अपीलार्थी

**बनाम**

1. कालूराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति बांवरी निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर।

**अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार राजस्व सादुलशहर आदेश दिनांक 03.01.2017 प्रकरण संख्या 17/2016 जिसके द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी निरस्त किया गया, निरस्त किये जाने आदेश व कब्जा दिलवाये जाने।**

उपस्थित :
1.श्री फलभूर सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

दिनांक :– 18.03.2021

:: आदेश ::

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि निर्णय दिनांक 03.01.2017 खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत व आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। तहसीलदार राजस्व सादुलशहर द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया गया कि अपीलार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वारिस प्रमाण पत्र व राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि अपीलार्थिया जीवनराम की विधिक उत्तराधिकारी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर नहीं किया व ना ही माननीय न्यायालय द्वारा रिमान्ड प्रकरण में दी गई गाईड लाईन पर गौर किया गया, इसलिए निर्णय खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज एवं साक्ष्य पर गौर नहीं किया गया बल्कि रेस्पोडेन्ट के झूठे व फर्जी हलफनामों पर गौर किया जिनके आधार पर अपीलार्थिया रेस्पोडेन्ट से कानूनन कब्जा प्राप्त की अधिकारी थी इसलिए निर्णय काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वसीयत एवं वारिसान के सम्बन्ध में प्रकरण अन्य न्यायालयों में विचाराधीन है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.1981 के विरूद्व की गई अपील खारिज हो चुकी है। तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.1981 अन्तिम हो चुकी है जिसके विरूद्व किसी प्रकार की कोई अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री की इजराज के सम्बन्ध में अंकित किया है कि इजराय किसके पक्ष में होगी , जबकि निर्णय व डिक्री के पश्चात इजराय निर्णय व डिक्री की पालना करवाये जाने के लिए प्रस्तुत की जाती है न कि उसका अलग से किसी प्रकार का निर्णय होना होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत कानूनी बिन्दू व साक्ष्य को नजर अन्दाज करके निर्णय किया गया है इसलिए निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है व अपीलार्थिया कब्जा प्राप्ति की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहुत पुराने दस्तावेज राशनकार्ड पर गौर नहीं किया जिसमें प्रार्थीया के पुत्रों व जीवनराम के दोहतों का नाम दर्ज है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 03.01.2017 तहसीलदार सादुलशहर निरस्त किया जाकर रकबा आराजी अपीलार्थिया को दिलवाए जाने के आदेश दिये जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.) ★

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर अपनी बहस में कथन किया कि :-

A- जीवनराम द्वारा कृषि भूमि जरिये ईकरारनामा दिनांक 13.02.1968 को हेमाराम पुत्र ओकार राम से विवादग्रस्त आराजी खरीद की गई। उसके पश्चात एडीजे हनुमानगढ का निर्णय व डिक्री जीवनराम के पक्ष में होने व प्रभुराम की अपील खारिज हो गई। इसलिए जीवनराम स्वतः ही इस भूमि का खातेदार काश्तकार व हकदार हो गया तथा जीवनराम की मृत्यु दिनांक 18.10.1996 को हुई।

B- वारिस प्रमाण पत्र सरपंच कलावती द्वारा जारी किया गया है जिस पर वार्ड पंच गुरमीत कौर ,वार्ड पंच साहबराम, वार्ड पंच प्यारासिंह के अंगूठा/हस्ताक्षर है। इसके अनुसार प्रार्थीया गुलाबीबाई ही जीवनराम की जायज वारिस है। अन्य जो भी वारिस प्रमाण पत्र जारी किये गये है वह सभी इसके पश्चात के है व अप्रार्थी द्वारा नाजायज प्रभाव से व मिल मिलाकर तैयार करवाये हैं इस तथ्य की जांच हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी गवाह जो कि वारिस प्रमाण पत्र के है मय रिकॉर्ड तलब ही नहीं किया मात्र दिनांक व कमांक के अभाव में अस्वीकार किया गया है जबकि जब तक इस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को तलब नहीं किया जाता और वे वारिस प्रमाण पत्र से इन्कार नहीं करते तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वारिस प्रमाण पत्र गलत बना है या गुलाबी बाई वारिस नही है। इसलिए इन गवाहान से जांच नहीं होने व साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने से आदेश विधि के विपरीत है।

C- प्रार्थीया द्वारा राशन कार्ड की तस्दीक प्रस्तुत की गई है जिसमें जीवनराम के दोहतीयां व दोहते जिनमें काशीराम दोहता, परमेश्वरी दोहता की बहू, राजू दोहता व सीता , मूरली दोहतीयां परिवार के सदस्य सरपंच की तस्दीक दिनांक 19.10.2015 के अनुसार है। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर दिया जबकि उक्त दोहते व दोहतीयां गुलाबी बाई के पुत्र व पुत्रीयां है। इस तथ्य की बिना जांच किये केवल गांव के दो व्यक्तियों रूडाराम व नाहरूराम के शपथ पत्र पर विश्वास किया। ये दोनो व्यक्ति अप्रार्थीगण के रिश्तेदार व मिलने वाले है जबकि सरपंच का रिकॉर्ड राशन कार्ड के सम्बन्ध में जो प्रस्तुत हुआ है एक लोक दस्तावेज व पुराना दस्तावेज है उस पर विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं था।

D- अधीनस्थ न्यायालय ने विभिन्न न्यायालय में प्रकरण लम्बित होना बताया जबकि इस बिन्दु के निर्णय में यह कहीं नहीं लिखा कि किस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है व उसका क्या प्रभाव धारा 183 बी के निर्णय पर है जबकि इस प्रकरण के सम्बन्ध में कोई भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं था। मात्र डिक्री की इजराज का प्रकरण डिक्री के विपरीत निर्णय हुआ कोई महत्वपूर्ण वाद नहीं है। डिक्री की ना तो कोई अपील वर्तमान में है ना ही डिक्री के विपरीत कोई निर्णय हुआ है।

E- अप्रार्थीगण द्वारा सर्वप्रथम पटवारी हल्का के समक्ष वसीयत पेश की गई व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत दिनांक 29.12.1994, 11.07.1977 व 15.02.1993 की पेश की है जो कि आपराधिक प्रकरण एफ.आई.आर. नम्बर 03/2015 की जांच में व एफ एस एल रिपोर्ट में फर्जी पाई गई जिसकी एफ.एस.एल. रिपोर्ट व चालान (आरोप पत्र) की प्रमाणित प्रतियां व फोटो प्रतियां मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार जिन वसीयतों जिसके आधर पर अप्रार्थीगण अपना हक या कब्जा बता रहे है वह एकदम फर्जी साबित हुई है। कालूराम , गोपीराम व मेघराज व गवाह नाहरा राम न्यायिक अभिरक्षा में रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य साबित होने पर भी अतिक्रमियों को बेदखल ना कर कानूनी भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज करके निर्णय पारित किया है।

F- अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत का बिन्दु तय करते समय अपने आदेश के बिन्दु संख्या 4 में वसीयत दिनांक 29.12.1994 का जिक्र किया है कि सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाई

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

है जबकि वसीयत एफएसएल रिपोर्ट में फर्जी पाई गई है इसलिए प्राईमा फेसाई अप्रार्थीगण अतिकमी साबित हो गये तो वे कृषि भूमि पर काबिज रहने के हकदार ही नहीं है।

G- अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय के बिन्दु सख्या 5 व 6 में अंकित किया है इजराज का प्रकरण व निर्णय व डिक्री के प्ररकण विचाराधीन है जबकि इस प्रकरण में केवल डिक्री की इजराय विचाराधीन है इसके अलावा अन्य कोई भी प्रकरण विचाराधीन ही नहीं है इसलिए उक्त तथ्य अंकित करने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना माईड एप्लाई किये व साइकलो स्टाईल पारित निर्णय की परिभाषा में आता है।

H- अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के निर्णय दिनांक 20.09.2016 न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश में दिये गये निर्देशो की पालना के विपरीत निर्णय दिया गया है क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को साक्ष्य पेश करने का कोई भी अवसर नहीं दिया गया व ना ही निर्णय से पूर्व साक्ष्य बन्द किये जाने के आदेश आदेशिका में दिये गये है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के प्रथम पृष्ठ के पैरा नम्बर 3 में सीधे ही '' प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई की गई '' सीधे ही बहस सुनी जाकर निर्णय दिया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड आदेशों/ निर्देशों की पालना नहीं की गई है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार अपयीलार्थिया जीवन राम की पुत्री साबित है तथा रेसपोडेन्ट का कब्जा बतौर अतिकमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना में अतिरिक्त साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से आदेश निरस्त योग्य है।

I- जहां पर कब्जा के सम्बन्ध में विवाद हो या टाईटल क्लीयर ना हो तो वहां पर कोई भी पक्ष कृषि भूमि की आय का नाजायज लाभ ना उठा सके वहां न्यायालय को विवादित रकबा रिसीवर किया जाकर प्राप्त राशि सुरक्षित रखे जाने के प्रावधान है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि प्रकरण विवादित लगता था या टाईटल क्लीयर नही तो रिसीवर करने के आदेश दिये जाने चाहिए थे जिससे हितबद्व पक्षकार के हितो की रक्षा हो सके। इसलिए आदेश कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

J- अप्रार्थी द्वारा बार–बार वसीयते अलग अलग तारीखों की फर्जी तैयार करने से इस तथ्य को बल मिलता है कि अप्रार्थी ने कानून को असफल करने व अपने बचाव का हर प्रयत्न किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज कर अपीलकृत आदेश जारी किया है जो निरस्त योग्य है।

K- अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दु व साक्ष्य उपलब्ध रही है कि माननीय हाईकोर्ट जोधुपर के निर्णय दिनांक 18.04.2014 एवं प्रभुराम का प्रार्थना पत्र पर दिये आदेश दिनांक 10.12.1997 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के द्वारा यह साबित था कि प्रभुराम विक्रेता के पुत्र द्वारा प्रार्थीया को जीवन राम की पुत्री होना स्वीकार किया गया है। उक्त साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का गोर या विवेचन नहीं करके निर्णय पारित किया गया है। इसलिए आदेश निरस्त योग्य है।

L- अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निष्पक्ष व प्राकृतिक न्याय के अनुसार नहीं है। एकपक्षीय साक्ष्य पर गौर करके निर्णय दिया गया है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहस में अंकित बिन्दुओं के अनुसार अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.01.2017 निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र 183 बी आरटीए स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर कब्जा अपीलार्थिया को दिलाये जाने के आदेश दिये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि :–

1. प्रभुराम पुत्र हेतराम के नाम चक 33ए एएमपी तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 2,3,8,9,12,13,14,17,18,19,22, में 11 बीघा रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रभुराम ने जमीन बेचान का प्रस्ताव रखा क्योंकि जीवनराम को जमीन खरीद करने की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

आवश्यकता थी उसने यह जमीन खरीद करने का इकरारनामा दिनांक 10.02.69 में किया तथा दिनांक 10.02.1969 को जमीन का कब्जा जीवनराम ने एक दावा जिला न्यायाधीश, हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय दिनांक 29.05.1981 को प्रस्तुत किया, जीवनराम का दावा डिक्री किया गया, उपरोक्त डिक्री के खिलाफ प्रभुराम ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दिनांक 10.12.1997 अबेट पर दी गई, जिसके खिलाफ प्रभुराम ने माननीय राज0 उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश 22 नियम 4 व आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जो माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2014 खारिज कर दी गई।

2. जीवन राम की मृत्यु हो चुकी थी, इस पर माननीय जिला न्यायाधीश हनुमानगढ के आदेश दिनांक 29.05.1981 की पालना में एक इजराज कालूराम ने जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की क्योंकि पहले हनुमानगढ के क्षेत्राधिकार में था तथा हनुमानगढ जिला न्यायाधीश ने उपरोक्त इजराय मुंतकिल की, जिस पर श्रीगंगानगर जिला न्यायाधीश द्वारा इजराय दर्ज करके प्रभुराम के खिलाफ नोटिस जारी किये गये, बीच में गुलाबी ने पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर द्वारा खारिज कर दिया गया, जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर ने अपीलांटा को जीवनराम की पुत्री नही माना, इजराय पेन्डिंग चल रही है, अपीलांटा ने तहसीलदार राजस्व सादुलशहर के समक्ष धारा 183(बी) आरटीएक्ट की गलत कार्यवाही की ,तहसीलदार राजस्व सादुलशहर ने अपीलांटा का प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2016 को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके खिलाफ अपीलांटा द्वारा श्रीमान न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर श्रीमान न्यायालय द्वारा मामला रिमाण्ड किया गया, तहसीलदार राजस्व सादुलशहर ने पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय कर पत्रावली श्रीमानजी को प्रेषित की। अतः अपीलांटा की अपील खारिज करने योग्य है क्योंकि अपीलांटा कोई अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलांटा की अपील खारिज करने का आदेश फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि:–

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर श्रीगंगानगर को अनवानी प्रकरण में निर्णय दिनांक 20.09.2016 पारित करते हुए दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा अपीलांट को जारी वारिस प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षकारान को तलब कर किसी प्रकार की साक्ष्य नही ली जाकर केवल मात्र अन्य दो व्यक्तियों के शपथ पत्र के आधार पर वारिस प्रमाण पत्र को सही होना नहीं माना जो न्यायिक प्रकिया के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव को तलब कर लिखित बयान एवं शपथ पत्र लेना चाहिए था एवं राशन कार्ड के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तलब कर रिकॉर्ड से मिलान करना चाहिए था। अगर वारिस प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड सही पाये जाते तो उसको साक्ष्य में ग्राहय किया जाना चाहिए था अगर फर्जी पाये जाते है तो फर्जी वारिस प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड जारी करने वाली संस्था के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी जो उसके द्वारा नहीं की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 22.04.1991 तस्दीक दिनांक 23.04.1991 द्वारा जगदीश राय गुप्ता नोटेरी पब्लिक की पेश की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.1994 की पेश की है। वह आपराधिक प्रकरण एफ.आई.आर. नम्बर 03/2015 की जांच में फर्जी पाई गई। जिसकी प्रतियां अधिवक्ता अपीलांटा द्वारा फार्म नम्बर 03 के साथ पेश की गई है। उक्त वसीयत के सम्बन्ध में वसीयत फर्जी है या नहीं का प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जीवनराम ने जो जमीन खरीद की थी, जिसका निर्णय जीवनराम के हक में किया गया। जीवनराम का देहांत हो गया, कालूराम ने उस आदेश की पालना में इजराय प्रार्थना पत्र

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

पेश किया, जो जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर में चल रहा है, उसमें गुलाबीबाई ने अपने आपको जीवनराम की पुत्री होना बताकर पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो कि जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर द्वारा खारिज कर दिया गया। " **जिला न्यायाधीश ,श्रीगंगानगर ने अपनी आदेश दिनांक 18.07.2018 द्वारा अंकित किया है कि उक्त इजराय प्रकरण जिला न्यायाधीश हनुमानगढ के न्यायालय से प्राप्त हुई है उन्होने इजराय इस न्यायालय को पालनार्थ अन्तरण प्रमाण पत्र के साथ भेजी है यदि किसी प्रकार की चाराजोई प्रार्थीया को पक्षकार बनने सम्बन्धी करनी है तो वह मूल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ में कर सकती है। इस न्यायालय को इस प्रकार की आपत्तियां को निर्णीत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।**" जिला न्यायाधीश श्री गंगानगर द्वारा अपनी आदेशिका में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांटा जीवनराम की पुत्री है या नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2017 निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पक्षकारान को अपने साक्ष्यों के सम्बन्ध में विधिवत् रूप से सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर